(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1010–दो/2007 विरूद्व आदेश दिनांक 22–03–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का राजस्व प्रकरण कमांक 80/अपील/05–06

श्रीरामदास सिंह मृत वारिस–

1. अजय सिंह
2. मुनेश सिंह पुत्रगण स्व0 रामदास सिंह
3 रीना सिंह पुत्री स्व0 रामदास सिंह
4. किरन सिंह पुत्री स्व0 रामदस सिंह

निवासी ग्राम गुजड़ेर, तहसील रामपुर नैकिन,
जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती फल्लूसिंह पुत्री धुन्धी सिंह
   पत्नी जगदीश सिंह बरगाही
   निवासी ग्राम चिनगहाई तह0 रामपर नैकिन जिला सीधी
2. श्रीमती कल्ली उर्फ कलावती मृत वरिस–
   (अ) बदीसिंह
   (ब) त्रिवेणी प्रताप सिंह
   (स) लक्ष्मण सिंह
   (द) लालजी सिंह पुत्रगण श्री लालमणि
   निवासी ग्राम श्यामनगर तहसील उचेहरा जिला सतना
3. श्री रामखेलावन सिंह तनय रामखिलवन सिंह
   निवासी ग्राम पथरहटा तहसील विजयराघौगढ़ जिला कटनी
4. श्री शोभनाथ उर्फ ललन सिंह तनय राममिलन सिंह
   निवासी ग्राम पथरहटा तहसील विजयराघौगढ़ जिला कटनी

.....अनावेदकगण

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 1/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 22–3–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकार का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन के समक्ष ग्राम गजरेड की आराजी कमांक 2056, 2059, 2060, 2536 का वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 77/अ–6/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 05–2–05 से वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट तहसील रामपुर नैकिन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–10–05 से अनावेदकगण की अपील को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–3–2007 के द्वारा अपील स्वीकार कर दोनों निम्न न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन तथा अभिभाषक तर्क सुनने के पश्चात पाता हूँ कि प्रश्नाधीन भूमि का मृतक भूमिस्वामी था उसने अपने जीवनकाल में आवेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की थी जिसके आधार पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण प्रारंभ कर इश्तहार प्रकाशन कर आपत्ति आमंत्रित कर निराकरण किया। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति के समर्थन में कोई भी अभिलेख पेश नहीं किया और न ही तर्क किया। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता मृतक के वैद्य वारिस भी नहीं है। फलतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति

निरस्त की गई। वसीयत को उसके साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज भी हैं। उपरोक्त आधार पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 05–2–2005 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विधिवत नामांतरण किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–10–05 में विस्तृत विवेचना की जाकर विधिवत आदेश दिया है कि अनावेदक विधिक वारिस नहीं है तथा अनावेदक को सुनवाई का समुचित अवसर भी दिया गया। आन एन 195 वर्ष 2003 में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "सम्यक रूप से साबित रजिस्ट्रीकृत विल की दशा में नामांतरण विधारित नहीं किया जा सकता।" तथा आर एन 237 वर्ष 2003 के अनुसार प्रमाणित वसीयतनामा के नामांतरण को रोका नहीं जा सकता। जहां तक रजिस्ट्रीकृत विल का प्रश्न है 86 आरएन वर्ष 1958 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत विल एक अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा साबित की जा सकती है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में कोई ऐसे तथ्यात्मक आधार नहीं दिये जिससे नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जा सके। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश तथ्यात्मक तथा विधिअनुकूल नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 22–3–2007 निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन का आदेश दिनांक 05–2–2005 एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी का आदेश दिनांक 21–10–05 स्थिर रखे जाते हैं।

1/11/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर